Regarding ongoing ban on share-wise property in Chandigarh

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : सभापति जी, 10 जनवरी, 2022 को उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में दो निर्देश दिए थे । ? (व्यवधान) पहले निर्देश में उन्होंने यह कहा था कि चंडीगढ़ प्रशासन ऐसे किसी नक्शे को पारित नहीं करेगा, जो तीन मंजिली मकान को तीन फ्लैट में तब्दील करता हो । ? (व्यवधान) उसके साथ-साथ उन्होंने एक दूसरा निर्देश यह दिया था कि ऐसा कोई एमओयू पंजीकृत नहीं होगा, जो किसी ऐसी कार्रवाई के ऊपर अमलीजामा पहनाता हो कि जब तक जो विरासतीय कमेटी है, वह विरासतीय कमेटी रिहायशी सेक्टर्स की रिडेंसिफिकेशन के ऊपर पुनर्विचार नहीं कर लेती है । ? (व्यवधान)

अब जो विरासतीय कमेटी थी, उसने पुनर्विचार करके यह सुनिश्चित किया कि जो विरासतीय रिहायशी इलाके हैं, हैरिटेज सेक्टर्स हैं, उनमें कोई रिडेंसिफिकेशन की जरूरत नहीं है ।

सभापति महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि शायद चंडीगढ़ प्रशासन उच्चतम न्यायालय के फैसले को ठीक तरह समझ नहीं पाया । ? (व्यवधान) उसको अपने संज्ञान में नहीं ले पाया और 9 फरवरी, 2023 को उन्होंने एक आदेश जारी किया, जिससे चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी की जो शेयर वाइज़ सेल है, उस पर पूरे चंडीगढ़ में रोक लगा दी गई । इससे लाखों लोगों को तकलीफ हो रही है । ? (व्यवधान)

सभापति महोदय, वहां पर कोई कैंसर पीड़ित है । ? (व्यवधान) कोई अपने बच्चे को शिक्षा के लिए बाहर भेजना चाहता है । अब वे अपनी प्रॉपर्टी को अपने कोऑनर्स के अलावा किसी को बेच नहीं पा रहे हैं । जो 100 की चीज है, वह 10 रुपये में बेची जा रही है । ? (व्यवधान)

मैं आज गृह मंत्रालय से यह मांग करना चाहता हूँ कि 9 फरवरी, 2023 के फैसले को पूरी तरह से निरस्त किया जाए । ? (व्यवधान)